न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 27 / 2023
जीसीएमएस न :— 2023 / 99
दायर दिनांक :— 16.08.2023
निर्णय दिनांक :— 30.04.2025

अनवान

1— श्री राजेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी हापेला तहासील गढबोर जिला राजसमन्द

अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार महोदय गढबोर

पत्रावली सख्या 27 / 2023 दिनांक 16.08.2023

उपस्थित :—

1— श्री रितेश टुकलिया अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गढबोर के द्वारा दिनांक 18.07.2023 को पारित निर्णय / आदेश प्रचलित न्याय विधि एवं तथ्यो के सर्वथा विपरित होकर प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। यह कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में साक्ष्य का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर निर्णय एवं आदेश पारित कर विधि की मान्य परम्परा उल्लंघन किया है। अपीलार्थी के द्वारा विवादित भूमि जो गॉव हापेल पटवार सर्कल खरनोट तहसील गढबोर में स्थित होकर उसकी आराजी नम्बर 1656 / 1 रकबा 0.2161 हेक्टर भूमि पर उसके पिता के समय से 40 वर्षो से आधिपत्य रहा है। जहा पर उसने अपनी भूमि के चारो ओर

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

बाउण्ड्रीवाल बनाई है, तथा पशुओ बांधने के लिये छपरा व खेती का सामान रखने के लिये एक कमरा भी बना रखा है, जिसमें अपीलार्थी के द्वारा विधुत संबंध स्थापित कर रखा है, हजारो रूपये खर्चा किया। वह विवादित आराजी पर अपने बच्चो के साथ निवास कर रहा हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा विद्युत संबंध स्थापित कर रखा है, हजारो रूपये खर्चा किया। वह विवादित आराजी पर अपने बच्चो के साथ निवास कर रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी भूमिहीन है उसके पास रहने को आवास नहीं है। उक्त सभी तथ्यो को दस्तावेज सहित अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना चाहता था, परन्तु उसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य पेश कारने का अवसर ही नहीं दिया गया था। अपीलार्थी को तहसीलदार गढ़बोर के न्यायालय से जो सूचना पत्र प्राप्त हुआ, उसमें विवादित भूमि आराजी नम्बर 1656/1 रकबा 0.2161 हेक्टर किस्म पडत व बिलानाम अंकित की गई थी। जिस पर अपीलार्थी के पूर्वजो के समय से, काफी वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। पूर्व में अधीनस्थ तहसीलदार गढबोर के द्वारा जो नोटिस धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के जारी किये गये उसमें आराजी नम्बर 1328/1 अंकित कर रखे है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरोधाभासी है यह कि अपीलार्थी को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण व आदेश खारिज कराने व उसे भूमि से बेदखल करने संबंधी निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपीला प्रस्तुत करने संबंधी तथ्यो की जानकारी नहीं दी गई। यह कि अपीला अन्दर अवधि प्रस्तुत है। यह कि अपील अनेक कई उजरात है, जिन्हे वक्त बहस निवेदन किये जावेगे।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने दोराने बहस बताया गॉव हापेल पटवार सर्कल खरनोट तहसील गढबोर में स्थित होकर उसकी आराजी नम्बर 1656/1 रकबा 0.2161 हेक्टर भूमि पर उसके पिता के समय से 40 वर्षो से आधिपत्य रहा है। जहां पर उसने अपनी भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बनाई है, तथा पशुओ बांधने के लिये छपरा व खेती का सामान रखने के लिये एक कमरा भी बना रखा है, जिसमें अपीलार्थी के द्वारा विधुत संबंध स्थापित कर रखा है, हजारो रूपये खर्चा किया। वह विवादित आराजी पर अपने बच्चो के साथ निवास कर रहा हैं। जिस पर अपीलार्थी के पूर्वजो के समय से, काफी वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने दोराने बहस बताया की अपीलार्थी द्वारा बिलानाम सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमी के विरूद्व जो कार्यवाही की गयी है। वह बैदखली की कार्यवाही नियमानुसार की गयी हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की प्रतिलिपी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की प्रतिलिपी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व गॉव हापेल पटवार सर्कल खरनोट तहसील गढबोर में स्थित होकर उसकी आराजी नम्बर 1656/1 रकबा 0.2161 हेक्टर भूमि पर अतिक्रमण किया गया,। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को पर्याप्त दस्तावेज एवं सबूत पेश करने में नाकाम रहे है। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का गॉव हापेल के आराजी नम्बर 1656/1 रकबा 0.2161 हेक्टर भूमि पर सम्वत 2080 एक वर्ष से कब्जा हैं अपीलाण्ट द्वारा नियमित कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेज ठोस सबूत साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इस प्रकार आराजी नम्बर 1656/1 रकबा 0.2161 हेक्टर बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने व शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने का अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से मै सन्तुष्ट हूँ। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाकर अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/04/2025

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द